

यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

भिन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

पत्र संख्या :- 05/2018

दायर तारीख : 01-01-2018

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

— प्रार्थी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि गिरधारीलाल
2. जगदीश प्रसाद पुत्र गिरधारीलाल
3. मालीराम पुत्र गिरधारीलाल
4. कोयली देवी पुत्री गिरधारीलाल
5. प्रभात
6. गोविन्दराम
7. छोटूराम
8. लच्छूराम
9. भोलाराम

पुत्रान हरनन्दा

समस्त जाति गुर्जर निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला
जयपुर(राज0)

— अप्रार्थीगण

उपस्थित : — पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण
निर्णय

दिनांक :- 20-11-2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम जवानपुरा पटवार मण्डल जवानपुरा में स्थित खसरा नंबर 788/0.10 हैक्टयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी सवत् 2070-2073 है। खसरा नंबर 788/0.10 में से 0.015 हैक्टयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर में नक्शा में दर्शित अनुसार जवानपुरा से टाण्डा तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है तथा मौके पर डामर की सड़क बनी हुई है, जो सार्वजनिक सड़क के रूप में काम आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप-6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।



2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हलका एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2070-2073, दैनिक डायरी, नकल जमाबन्दी संवत् 2070-2073 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंबर 788/0.10 में से 0.015 हैक्टेयर भूमि सड़क/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सड़क/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः खसरा नम्बर 788/0.10 में से 0.015 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जवानपुरा पटवार मण्डल जवानपुरा में स्थित खसरा नंबर 788/0.10 में से 0.015 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर

